



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15032024-253042
CG-DL-E-15032024-253042

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1297]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 15, 2024/फाल्गुन 25, 1945

No. 1297]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 15, 2024/PHALGUNA 25, 1945

भारी उद्योग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2024

का.आ. 1363(अ).—भारत में इलेक्ट्रिक यंत्री कार विनिर्माण संवर्धन स्कीम।

1. पृष्ठभूमि और प्रस्तावना

भारत वर्तमान में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबिल बाजार है और दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते मोटर वाहन बाजारों में से एक है। मोटर वाहन क्षेत्र का वर्तमान बाजार आकार 12.5 लाख करोड़ रुपये (151 बिलियन डालर) का है और 2030 तक यह क्षेत्र 24.9 लाख करोड़ रुपये (300 बिलियन डालर) से अधिक का हो जाने का अनुमान है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में मोटर वाहन क्षेत्र का योगदान 7.1% से अधिक का है।

दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोटिव बाजार होने के नाते, भारत के पास पारंपरिक अंतर्दहन इंजन पावरट्रेन से अधिक कुशल और विकारबनीकृत इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) प्रौद्योगिकी में वैश्विक परिवर्तन का नेतृत्व करने का अवसर है। अनुमान है कि इलेक्ट्रिक वाहन ऑटोमोबिल क्षेत्र की एक प्रमुख श्रेणी बन जाएगी।

भारत सरकार ने ईवी उद्योग के विकास देने के लिए कई पहलें की हैं। इनमें फेम इंडिया स्कीमें और दो उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीमें शामिल हैं जिन पर बाद में चर्चा की गई है।

नीति आयोग¹ का अनुमान है कि वर्ष 2030 तक ईवी की विभिन्न श्रेणियों की पैठ निम्नानुसार होगी :

¹ नीति आयोग की रिपोर्ट "ई-मोबिलिटी मूल्य श्रृंखला के त्वरित स्थानीकरण के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा उपयोग संवर्धन", मई 2022

- दुपहिया के लिए 35-40%
- निजी चौपहिया वाहनों के लिए 9-11%
- साझा चौपहिया वाहनों के लिए 20-25%
- बसों के लिए 13-16%

1.1. वृद्धि के वाहक

- 1.1.1. **ऑटोमोबिल और ऑटोमोटिव घटकों के लिये उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआई-ऑटो):** भारी उद्योग मंत्रालय ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और ऑटोमोटिव विनिर्माण उद्योग की मूल्य शृंखला में निवेश आकर्षित करने के लिये वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में पीएलआई-ऑटो स्कीम 23 सितंबर, 2021 को 25,938 करोड़ रुपए (3.1 बिलियन डॉलर) के परिव्यय से शुरू की थी।
- 1.1.2. **उन्नत रसायन सेल के लिए पीएलआई स्कीम (पीएलआई-एसीसी):** उन्नत रसायन सेल के विनिर्माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा 18,100 करोड़ रुपये (2.5 बिलियन डॉलर) के बजटीय परिव्यय से यह स्कीम शुरू की गई थी। इस स्कीम का उद्देश्य 50 गीगावाट घंटे की स्थानीय विनिर्माण क्षमता का निर्माण करना है जिसमें से 30 गीगावाट घंटे की क्षमता पहले ही आवंटित की जा चुकी है।
- 1.1.3. **फ्रेम:** भारी उद्योग मंत्रालय ने 2015 में भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फ्रेम) स्कीम शुरू की। फ्रेम स्कीम का चरण-II (फ्रेम-II) 2019 में 11,500 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय से शुरू किया गया था। यह स्कीम ईवी के खरीदारों को अग्रिम सब्सिडी प्रदान करती है ताकि अंगीकरण की उनकी लागत को कम किया जा सके।
- 1.1.4. **राज्य नीतियां:** वर्तमान में भारत में 22 से अधिक राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की अपनी ईवी नीतियां हैं। इन नीतियों का उद्देश्य राजकोषीय और गैर-राजकोषीय उपायों के एक समूह के माध्यम से प्रोत्साहन प्रदान करके भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के अंगीकरण को बढ़ावा देना है, जैसे- सब्सिडी, करों में रियायतों/छूट, और अवसंरचना का विकास।

1.2 स्कीम का औचित्य:

यह स्कीम वैश्विक ईवी विनिर्माताओं से निवेश आकर्षित करने और भारत को ई-वाहनों के लिए विनिर्माण गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने में मदद करेगी। यह स्कीम ईवी के विनिर्माण, रोजगार उत्पन्न करने और "मेक इन इंडिया" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत को वैश्विक मानचित्र पर लाने में भी मदद करेगी।

1.3 स्कीम की महत्वपूर्ण बातें

- 1.3.1 अनुमोदित आवेदक ई-चौपहिया वाहनों के विनिर्माण के लिए 4,150 करोड़ रुपये (500 मिलियन डॉलर) के न्यूनतम निवेश के साथ भारत में विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करेंगे।
- 1.3.2 विनिर्माण सुविधा भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा अनुमोदन-पत्र जारी करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के भीतर चालू की जाएगी और उसी अवधि के भीतर 25% का न्यूनतम घरेलू मूल्यवर्धन (डीवीए) प्राप्त किया जाएगा।
- 1.3.3 अनुमोदित आवेदक को भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा अनुमोदन-पत्र जारी करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के भीतर 50% का न्यूनतम डीवीए प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- 1.3.4 आवेदक को इस स्कीम के अनुसार शर्तों के अधीन 15% के न्यूनतम सीमा शुल्क पर उनके द्वारा विनिर्मित ई-चौपहियों का सीबीयू आयात करने की अनुमति दी जाएगी।
- 1.3.5 इस स्कीम के अंतर्गत भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा अनुमोदन-पत्र जारी करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए 15% की शुल्क दर पर न्यूनतम 35,000 डॉलर के सीआईएफ मूल्य के साथ ईवी यात्री कारों (ई-चौपहिया) को शुरू में आयात किया जा सकता है। उपर्युक्त घटी हुई शुल्क दर पर आयात किए जाने की अनुमति वाले ई-चौपहिया यात्री कारों की प्रतिवर्ष अधिकतम संख्या 8,000 होगी। अप्रयुक्त वार्षिक आयात सीमाओं को कैरी ओवर करने की अनुमति होगी।
- 1.3.6 इस स्कीम के अंतर्गत आयात किए जाने वाले ईवी की अधिकतम संख्या इतनी होगी कि त्यक्त कुल शुल्क निम्नलिखित में से जो कमतर तक सीमित होगा:

- i. प्रति आवेदक अधिकतम शुल्क त्याग (6,484 करोड़ रुपये तक सीमित), या
- ii. आवेदक का प्रतिबद्ध निवेश (करोड़ रुपये में)।

इस स्कीम के अंतर्गत आयात किए जाने वाले ई-चौपहिया वाहनों की अधिकतम संख्या को निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से दर्शाया गया है:

उदाहरण 1

- क) प्रतिबद्ध निवेश 500 मिलियन डॉलर है,
- ख) प्रत्येक ईवी की सीआईएफ (लागत, बीमा और माल ढुलाई) कीमत 35,000 डॉलर है
- ग) वर्तमान आयात शुल्क = 70%, प्रस्तावित आयात शुल्क = 15%,
अतः, त्यक्त शुल्क = (70%-15%) x 35,000 डॉलर
= 19,250 डॉलर (₹15,97,750), तो;
- घ) स्कीम के दौरान आयात के लिए अनुमत वाहनों की अधिकतम संख्या
= ₹4,150 करोड़ (500 मिलियन डॉलर) ÷ ₹15,97,750 (19,250 डॉलर)
= 25,974 वाहन।

उदाहरण 2

- क) प्रतिबद्ध निवेश 781 मिलियन डॉलर (6,484 करोड़ रुपये) है,
- ख) प्रत्येक ईवी का सीआईएफ 35,000 मिलियन डॉलर है,
- ग) वर्तमान आयात शुल्क = 70%, प्रस्तावित आयात शुल्क = 15%,
अतः, त्यक्त शुल्क = (70%-15%) x 35,000 डॉलर
= 19,250 डॉलर (₹15,97,750), तो;
- घ) स्कीम के दौरान आयात के लिए अनुमत वाहनों की अधिकतम संख्या
= ₹6,484 करोड़ (781 मिलियन डॉलर) ÷ ₹15,97,750 (19,250 डॉलर)
= 40,582 वाहन।

उदाहरण 3

- क) प्रतिबद्ध निवेश 500 मिलियन डॉलर (4,150 करोड़ रुपये) है,
- ख) प्रत्येक ईवी का सीआईएफ 50,000 अमेरिकी डॉलर है,
- ग) वर्तमान आयात शुल्क = 100%, प्रस्तावित आयात शुल्क = 15%,
अतः, त्यक्त शुल्क = (100%-15%) x 50,000 डॉलर
= 42,500 डॉलर (₹35,27,500), तो;
- घ) स्कीम के दौरान आयात के लिए अनुमत वाहनों की अधिकतम संख्या
= ₹4,150 करोड़ (500 मिलियन डॉलर) ÷ ₹35,27,500 (42,500 डॉलर)
= 11,764 वाहन।

यदि वाहनों का आयात अलग-अलग सीआईएफ मूल्यों पर किया जाता है तो वाहनों की संख्या कुल त्यक्त शुल्क की मात्रा द्वारा सीमित की जाएगी, जो उपर्युक्त राशि तक सीमित है।

1.3.7 15% का कमतर सीमा-शुल्क कुल 5 वर्षों की अवधि (भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा अनुमोदन पत्र जारी करने की तारीख से) के लिए लागू होगा, बशर्ते 3 वर्ष की अवधि के भीतर भारत में विनिर्माण केंद्रों/सुविधा(ओं) की स्थापना की जाए [(जिसमें न्यूनतम निवेश 4,150 करोड़ रुपये (~ 500 मिलियन डालर)] शामिल है।

1.3.8 आवेदक को अपने केंद्रों में विनिर्मित ई-चौपहिया वाहनों के लिए तीसरे वर्ष के अंत तक न्यूनतम 25% और 5वें वर्ष के अंत तक न्यूनतम 50% (भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा अनुमोदन-पत्र जारी करने की तारीख से) घरेलू मूल्यवर्धन (डीवीए) हासिल करना होगा।

1.3.9 विनिर्माण केंद्रों/सुविधा(ओं) की स्थापना और अपेक्षित डीवीए हासिल करने के लिए आवेदक की प्रतिबद्धता के साथ भारत में किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से बैंक गारंटी देनी होगी जो स्कीम अवधि के दौरान परित्याग किए जाने वाले कुल शुल्क अथवा 4150 करोड़ रुपये (इनमें से जो भी अधिक हो) के बराबर होगी।

1.3.10 निम्नलिखित में से किसी एक की भी पूर्ति न होने की स्थिति में बैंक गारंटी भुना ली (इनवोक) जाएगी:

- i. आवेदक द्वारा 3 वर्ष की अवधि के भीतर न्यूनतम 4,150 करोड़ रुपये का निवेश;
- ii. आवेदक द्वारा अपने विनिर्माण केंद्रों/सुविधा(ओं) में विनिर्मित ईवी यात्री कारों के लिए 3 वर्ष की अवधि के भीतर न्यूनतम 25% का डीवीए प्राप्त करना आवश्यक होगा;
- iii. आवेदक द्वारा 5 वर्ष की अवधि के भीतर किया गया निवेश कम से कम परित्यक्त शुल्क अथवा 500 मिलियन डालर (जो भी अधिक हो) के बराबर होना चाहिए।
- iv. आवेदक को अपने विनिर्माण केंद्रों/सुविधा(ओं) में विनिर्मित ईवी यात्री कारों के लिए 5 वर्ष की अवधि के भीतर न्यूनतम 50% का डीवीए प्राप्त करना आवश्यक होगा।

3.2.11 बैंक गारंटी केवल तभी वापस की जाएगी जब 50% डीवीए प्राप्त हो गया हो और कम से कम 4,150 करोड़ रुपये या 5 वर्षों में परित्यक्त शुल्क (जो भी अधिक हो) का निवेश किया गया हो।

2. परिभाषाएं

2.1 आवेदक: स्कीम के प्रयोजन के लिए, आवेदक भारत में कंपनी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित कंपनी या उसकी समूह कंपनी में शामिल हो जो मोटर वाहन और/या विनिर्माण में कार्यरत हो और स्कीम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करती हो और स्कीम के अंतर्गत अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन कर रही हो।

2.2 आवेदन: आवेदक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत आवेदन जिसमें सहायक दस्तावेज़ और आवेदन शुल्क के साथ अपेक्षित जानकारी हो। आवेदन-पत्र का प्रारूप उचित समय पर अलग से जारी किया जाएगा।

2.3 आवेदन अनुमोदन तिथि: जिस तारीख को भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा स्कीम के अंतर्गत अनुमोदन-पत्र जारी किया जाए।

2.4 आवेदन विंडो: इस स्कीम की अधिसूचना के 120 दिन (या अधिक) के भीतर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। आवेदन आमंत्रित करने संबंधी नोटिस के माध्यम से आवेदन प्राप्त करने के लिए विंडो 120 दिन (या अधिक) की अवधि तक खुली रहेगी। इसके अलावा, आवश्यकता पड़ने पर भारी उद्योग मंत्रालय को स्कीम के पहले 2 वर्ष के भीतर आवेदन विंडो खोलने का अधिकार होगा।

2.5 अनुमोदित आवेदक/कंपनी: वह पात्र कंपनी या उसकी समूह कंपनी जिसे स्कीम के अंतर्गत अनुमोदन-पत्र जारी किया गया हो।

2.6 ऑटोमोटिव मूल उपकरण विनिर्माता: इलेक्ट्रिक यात्री वाहनों का मूल उपकरण विनिर्माता।

2.7 पूर्णतः बिल्ट-इन वाहन (सीबीयू): यह एक ऐसा वाहन है जो पूरी तरह से असेम्बल किए गए रूप में है।

2.8 पूरी तरह से नॉकड डाउन (सीकेडी): पूरी तरह से नॉकड डाउन (सीकेडी) किट के रूप में वाहन जिसमें चेसिस, इंजन, गियरबॉक्स, ट्रांसमिशन तंत्र के साथ किसी वाहन को पूरी तरह असेम्बल करने के लिए सभी आवश्यक पुर्जे लगे हों, न कि जो पहले से असेम्बल किया हुआ हो।

2.9 पात्र उत्पाद: इसका अर्थ है- इलेक्ट्रिक यात्री वाहन (ई-चौपहिया) जिसे आवेदक द्वारा विनिर्मित किया जाना प्रस्तावित है और जिसका डीवीए भारी उद्योग मंत्रालय की परीक्षण एजेंसी द्वारा सत्यापित है।

2.10 वित्त वर्ष: वित्त वर्ष 1 अप्रैल को शुरू होता है और अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होता है।

2.11 अचल परिसंपत्ति: अचल परिसंपत्ति वह संपत्ति है जिसका उपयोग वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन या उपलब्धता के उद्देश्य से किया जाता है और कारोबार में सामान्यतः जिसका उपयोग बिक्री के लिए नहीं किया जाता, जैसे- संपत्ति, संयंत्र और उपकरण आदि।

4.12 अप्रत्याशित घटनाएँ: मानव नियंत्रण से परे, असाधारण घटनाएँ या परिस्थितियाँ, जैसे- दैवीय मानी जाने वाली घटना (यथा- प्राकृतिक आपदा) अथवा युद्ध, हड़ताल, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति, दंगे (लेकिन लापरवाही या कुकृत्य, पूर्वानुमेय/मौसमी बारिश या विशेष रूप से अपवर्जित अन्य घटनाएँ इसमें शामिल नहीं हैं)।

2.13 वैश्विक समूह राजस्व: वैश्विक प्रचालनों (वर्ष विशेष में मोटर वाहन विनिर्माण) से समूह कंपनियों का कुल राजस्व।

2.14 समूह कंपनियाँ: समूह कंपनी का अर्थ दो या दो से अधिक उद्यमों से है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निम्नांकित की स्थिति में हैं :

अन्य उद्यम में छब्बीस प्रतिशत या अधिक मताधिकार का प्रयोग;

अथवा

अन्य उद्यम में निदेशक मंडल के पचास प्रतिशत से अधिक सदस्यों की नियुक्ति (2020 के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति परिपत्र में यथापरिभाषित)।

2.15 वैश्विक निवल मूल्य: यह किसी कंपनी या उसकी समूह कंपनी के सभी प्रचालनों अर्थात् सभी परिसंपत्तियों (घरेलू और विदेशी) के सकल निवेश मूल्य –(घटाव) सभी देयताओं (घरेलू और विदेशी) को संदर्भित करता है।

2.16 निवेश: "निवेश" का अर्थ होगा:

पूरे भारत में नए संयंत्र, मशीनरी, चार्जिंग अवसंरचना, उपकरण और संबंधित कंपनियों पर किया गया व्यय। इसमें संयंत्र, मशीनरी, उपकरण और संबद्ध कंपनियों के साथ-साथ उपकरण, ड्राई, मोल्ड, जिग्स, फिक्स्चर (पुर्जों, सहायक उपकरणों, घटकों और उनके पुर्जों सहित) पर व्यय शामिल होगा जिनका उपयोग स्कीम के तहत किसी भी पात्र उत्पाद की डिजाइन, निर्माण, संयोजन, परीक्षण, पैकेजिंग या प्रसंस्करण में किया जाता है। इसमें पूरे भारत में चार्जिंग अवसंरचना, उपकरण और संबंधित कंपनियों की स्थापना संबंधी व्यय भी शामिल होगा। इसके अलावा, इसमें पैकेजिंग, माल ढुलाई/परिवहन, बीमा, संयंत्र की स्थापना और प्रारंभन, मशीनरी, उपकरण और संबंधित यूटिलिटीज पर व्यय भी शामिल होगा। संबद्ध कंपनियों में कैप्टिव पावर और एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, प्रचालन क्षेत्र में आवश्यक उपकरण, जैसे- स्वच्छ कमरे, एयर कर्टेन, तापमान और वायु गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली, कम्प्रेसड एयर, पानी और बिजली आपूर्ति तथा नियंत्रण प्रणाली शामिल होंगे। संबद्ध कंपनियों में सर्वर, सॉफ्टवेयर और ईआरपी समाधान सहित विनिर्माण से संबंधित आईटी और आईटीईएस अवसंरचना भी शामिल होगा। ऐसे व्यय में सभी गैर-क्रेडिटेबल कर और शुल्क भी शामिल किए जाएंगे। पुराने संयंत्र/नवीकृत संयंत्र, मशीनरी आदि पर किया गया व्यय इस स्कीम के अंतर्गत निवेश के रूप में पात्र नहीं होगा। इसके अलावा, लीजहोल्ड परिसंपत्तियां भी इस स्कीम के तहत निवेश के रूप में पात्र नहीं होंगी।

2.16.1 भूमि और भवन पर किया गया व्यय: भूमि पर किए गए व्यय पर संचयी न्यूनतम घरेलू निवेश के अवसीमा मानदंड को पूरा करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि, मुख्य संयंत्र और कंपनियों के भवनों को निवेश के हिस्से के रूप में माना जाएगा, बशर्ते यह न्यूनतम संचयी घरेलू निवेश के 10% से अधिक न हो। लीजहोल्ड भवन स्कीम के तहत पात्र निवेश के रूप में विचार हेतु पात्र नहीं होंगे।

2.17 विनिर्माण: केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) अधिनियम, 2017 के अनुसार, विनिर्माण का अर्थ किसी भी प्रकार के कच्चे माल या इनपुट का प्रसंस्करण होगा, जिसके परिणामस्वरूप एक अलग नाम, चरित्र और उपयोग वाले नए उत्पाद का उदय हो और "विनिर्माता" शब्द का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा।

इसके अलावा, इस स्कीम के फ्रेमवर्क में यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि विनिर्माण विशेष रूप से आवेदक द्वारा स्थापित की जाने वाली विनिर्माण सुविधा(ओं) के तहत इलेक्ट्रिक यात्री वाहनों के उत्पादन से संबंधित हो और निर्दिष्ट घरेलू मूल्यवर्धन संबंधी आवश्यकताओं का पालन करता हो।

2.18 परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए): वित्तीय संस्थान या भारत सरकार द्वारा नियुक्त किसी अन्य प्राधिकरण को आवेदनों के मूल्यांकन, पात्रता के सत्यापन, बैंक गारंटी की पर्याप्तता की जांच, आयातित वाहनों का रिकॉर्ड रखने और किसी भी विधि/दस्तावेज के माध्यम से त्यक्त शुल्क के उचित होने और इन दिशानिर्देशों के अनुसार उपर्युक्त के प्रबंधन के लिए कार्य करने को संदर्भित करता है।

2.19 सेमी-नॉकड डाउन यूनिट (एसकेडी): सेमी-नॉकड डाउन (एसकेडी) ऐसा वाहन है जो सभी आवश्यक पुर्जों, सब-असेंबली के साथ एक पूर्ण वाहन बनाने वाले नॉक डाउन किट के रूप में है जिसमें इंजन, गियरबॉक्स, प्री-असेम्बलड कंडीशन, ट्रांसमिशन शामिल है जिसे किसी चेसिस या बॉडी-असेंबली पर नहीं लगाया गया है।

2.20 घरेलू मूल्य संवर्धन (डीवीए): भारी उद्योग मंत्रालय की उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन-ऑटो स्कीम में यथापरिभाषित अनुसार होगा।

2.21 निष्पादन मानदंड: सभी इलेक्ट्रिक यात्री वाहन उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन ऑटो स्कीम के निष्पादन मानदंडों को पूरा करेंगे।

3. स्कीम की अवधि: 5 वर्ष अथवा भारत सरकार द्वारा यथाअधिसूचित।

4. पात्रता

4.1 पात्रता: आवेदक कंपनी या उसकी समूह कंपनी को स्कीम के तहत लाभान्वित होने और अर्हता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित सामान्य मानदंडों को पूरा करना होगा:

पात्रता मानदंड	ऑटो मूल उपकरण विनिर्माता
वैश्विक समूह* राजस्व (मोटर वाहन निर्माण से), आवेदन के समय नवीनतम लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के आधार पर	न्यूनतम ₹ 10,000 करोड़।
आवेदन के समय नवीनतम लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के आधार पर निवेश	कंपनी या उसके समूह* कंपनी (कंपनियों) का वैश्विक निवेश ₹ 3,000 करोड़ की अचल संपत्ति (सकल रूप) में।
3 वर्ष की अवधि के दौरान भारत में न्यूनतम निवेश प्रतिबद्धता	₹ 4,150 करोड़ (500 मिलियन डॉलर)
3 वर्ष की अवधि के दौरान भारत में अधिकतम निवेश प्रतिबद्धता	कोई सीमा नहीं।
विनिर्माण के दौरान घरेलू मूल्य संवर्धन मानदंड	भारी उद्योग मंत्रालय/परियोजना प्रबंधन एजेंसी द्वारा अनुमोदन पत्र जारी करने की तारीख से 3 वर्ष के भीतर 25% और 5 वर्ष के भीतर 50% प्राप्त किया जाना है।

समूह कंपनी का अर्थ दो या दो से अधिक उद्यमों से होगा, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निम्नलिखित की स्थिति में हैं: अन्य उद्यम में छद्म प्रतियोगिता या अधिक मतदान अधिकारों का प्रयोग करना;

नोट:

- नए निवेश केवल अनुमोदित आवेदक द्वारा किए जाने चाहिए।
- आवेदन अनुमोदन तिथि से किये गये संचयी नए घरेलू निवेश पर इस शर्त के तहत विचार किया जाएगा।

4.2 स्कीम के तहत पात्रता:

इस स्कीम के तहत सुविधाएं निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के बाद ही उपलब्ध होंगी:

- भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा आवेदक को अनुमोदन-पत्र जारी करना।
- 4,150 करोड़ रुपये की निर्धारित बैंक गारंटी जमा करना।

4.2.3 यदि त्यक्त शुल्क 4,150 करोड़ रुपये से अधिक हो, तो अतिरिक्त शुल्क लाभ के बराबर की अतिरिक्त बैंक गारंटी जमा करनी होगी।

5. आवेदन

5.1 आवेदन इस स्कीम की अधिसूचना के 120 दिन (या अधिक) के भीतर आमंत्रित किए जाएंगे। आवेदन आमंत्रित करने संबंधी नोटिस के माध्यम से आवेदन विंडो 120 दिन (या अधिक) की अवधि के लिए खुली रहेगी। इसके अलावा, आवश्यकता पड़ने पर भारी उद्योग मंत्रालय को स्कीम के पहले 2 वर्षों के भीतर आवेदन विंडो खोलने का अधिकार होगा।

आवेदक कंपनियों को वित्तीय और सहायक दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करना होगा जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे, हालांकि ये सिर्फ इन तक सीमित नहीं हैं:

- स्कीम के लिए आवेदन करने वाली विधिक कंपनी के साथ-साथ वैश्विक समूह की कंपनी के लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण।
- स्कीम के तहत घरेलू निवेश स्थापित करने के लिए आवेदक सांविधिक लेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा।
- दस्तावेज आवेदक के सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित और विधिमान्यीकृत होना चाहिए।

5.2 आवेदन पत्र: आवेदन के समय प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन-पत्र का प्रारूप और सभी आवश्यक सहायक दस्तावेज के विवरण अलग से जारी किये जाएंगे।

5.3 प्रत्येक आवेदन के लिए एक अप्रतिदेय आवेदन-शुल्क देय होगा।

6. ऑनलाइन पोर्टल

6.1 सभी आवेदन परियोजना प्रबंधन एजेंसी द्वारा बनाए गए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे। यदि पोर्टल उपलब्ध न हो, तो आवेदन परियोजना प्रबंधन एजेंसी को भौतिक रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

6.2 ऑनलाइन पोर्टल का यूआरएल भारी उद्योग मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा।

7. परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए)

7.1 यह स्कीम परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी जो सचिवीय, प्रबंधकीय और कार्यान्वयन सहायता प्रदान करने और समय-समय पर भारत सरकार द्वारा सौंपी गई अन्य जिम्मेदारियों को पूरा करने के प्रति उत्तरदायी होगी।

7.2 परियोजना प्रबंधन एजेंसी अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के प्रति उत्तरदायी होगी:

7.2.1 आवेदनों की प्राप्ति, आवेदनों की जांच, आवेदनों का प्रसंस्करण और पावती जारी करना।

7.2.2 स्कीम के तहत प्राप्त और प्रसंस्कृत आवेदनों की स्थिति के बारे में भारी उद्योग मंत्रालय को तिमाही विवरण प्रस्तुत करना।

7.2.3 स्कीम के अंतर्गत आवेदनों के अनुमोदन के लिए उचित माध्यम से उपयुक्त सिफारिशें करना।

7.2.4 आवेदकों द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी का रखरखाव और आवश्यकता पड़ने पर उसे भुनाने (इनवोक करने) की सिफारिश करना।

7.2.5 स्कीम के तहत पात्रता निर्धारित करने के लिए अवसीमा सत्यापन।

7.2.6 आयात डेटा का सत्यापन।

7.2.7 समुचित प्राधिकारी द्वारा यथापेक्षित और अनुमोदित तिमाही समीक्षा रिपोर्टों और अन्य सूचना/दस्तावेज के माध्यम से स्कीम की प्रगति और निष्पादन के बारे में डेटा का संकलन।

7.2.8 सरकार को अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए सचिवीय और अन्य सहायता प्रदान करना।

7.2.9 लेखांकन नीति में किसी भी परिवर्तन या विभिन्न स्कीमों के तहत एक ही कार्य के लिए लाभों के दोहराव से उत्पन्न किसी भी विपथन पर नज़र रखना।

7.2.10 परियोजना प्रबंधन एजेंसी ज़रूरी होने पर आवेदक से अतिरिक्त सूचना, विवरण और दस्तावेज का अनुरोध कर सकती है।

8. स्कीम के तहत मंजूरी

8.1 परियोजना प्रबंधन एजेंसी आवेदनों को प्रसंस्कृत करेगी और स्कीम के तहत अनुमोदन के लिए उचित सिफारिशें करेगी।

8.2 भारत सरकार परियोजना प्रबंधन एजेंसी द्वारा उपयुक्त चैनल क माध्यम से की गई सिफारिश के अनुसार स्कीम के अंतर्गत अनुमोदन के लिए आवेदनों पर विचार करेगी।

8.3 सभी आवेदनों को आवेदन जमा करने या मांगे गए स्पष्टीकरण (यदि हो) की प्राप्ति की तारीख से 120 दिन के भीतर अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

8.4 अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, परियोजना प्रबंधन एजेंसी 5 कार्य दिवस के भीतर चयनित आवेदक को पत्र जारी करने की व्यवस्था करेगी और स्कीम के तहत अनुमोदन की सूचना देगी।

8.5 यदि कोई चयनित आवेदक किसी भी स्तर पर अपात्र पाया जाता है, या यदि उसने स्कीम की अधिसूचनाओं, आदेशों, दिशानिर्देशों आदि का अनुपालन नहीं किया है, तो ऐसे चयनित आवेदक को प्रदत्त परिकल्पित लाभ को ब्याज के साथ वसूल किया जाएगा।

9. **स्कीम संस्वीकृति समिति (एसएससी):** स्कीम की संस्वीकृति, समग्र निगरानी और कार्यान्वयन के साथ-साथ कार्यान्वयन चरण में उत्पन्न होने वाली किसी भी बाधा/कठिनाई को दूर करने के लिए सचिव (भारी उद्योग) की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी स्कीम संस्वीकृति समिति का गठन किया जाएगा। समिति का संघटन अलग से जारी किया जाएगा।

10. कमतर सीमा शुल्क का लाभ उठाने के लिए आवेदनों का अनुमोदन :

10.1 इस स्कीम के तहत कमचक्र सीमा शुल्क का लाभ उठाने के लिए, अनुमोदित आवेदकों को वार्षिक आधार पर आयात आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

10.2 परियोजना प्रबंधन एजेंसी अनुमोदित आवेदक द्वारा प्रस्तुत आयात आवेदन को सत्यापित करेगी।

10.3 परियोजना प्रबंधन एजेंसी को कमतर सीमा शुल्क के दावे के संबंध में किसी भी दस्तावेज को सत्यापित करने का अधिकार होगा जिसमें वैधानिक लेखापरीक्षक प्रमाण-पत्र और विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों को प्रस्तुत रिटर्न शामिल हैं, हालांकि यह इतने तक ही सीमित नहीं है। परियोजना प्रबंधन एजेंसी को लेखापरीक्षक के प्रमाण-पत्र, बैंक स्टेटमेंट आदि के माध्यम से निवेश, घरेलू मूल्यवर्धन आदि के अनुरूप अंतिम प्राप्ति (एंड रियलाइजेशन) और निपटान/भुगतान की जांच करने का भी अधिकार होगा।

10.4 आवेदक स्कीम अवधि के दौरान भारत में विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना में की जा रही प्रगति पर परियोजना प्रबंधन एजेंसी को तिमाही प्रगति रिपोर्ट देगा।

10.5 पात्रता निर्धारित करने या अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के निर्वहन में किसी अन्य मामले में किसी भी संदेह की स्थिति में, परियोजना प्रबंधन एजेंसी ऐसे मामले को स्पष्टीकरण के लिए भारी उद्योग मंत्रालय को संदर्भित कर सकती है।

10.6 यदि परियोजना प्रबंधन एजेंसी या भारी उद्योग मंत्रालय संतुष्ट है कि स्कीम के तहत पात्रता और/या स्कीम के तहत लाभ तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत कर या गलत सूचना देकर प्राप्त किए गए हैं, तो भारी उद्योग मंत्रालय अनुमोदित आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के बाद, त्यक्त शुल्क को ब्याज के साथ वापस करने को कहेगा जिसकी गणना लाभ लेने के समय लागू 3 वर्ष की एसबीआई मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड-वेस्ड लेंडिंग रेट (एमसीएलआर) पर की जाएगी और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि दर पर होगी। यह कानून के तहत की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के है।

11. समीक्षा

स्कीम की प्रगति और निष्पादन के संबंध में स्कीम संस्वीकृति समिति द्वारा आवधिक समीक्षा की जाएगी।

12. अवशिष्ट

12.1 इस स्कीम के तहत चयन के लिए जिन कंपनियों के प्रत्यय-पत्र (क्रेडेंशियल) पर विचार किया गया है, उन्हें स्कीम के कार्यकाल के दौरान आवेदन में अपनी शेयरधारिता (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष) को कम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

12.2 चयनित आवेदक का संबंधित पक्षों के साथ हर लेन-देन संगत संविधि और लेखाकरण मानक-18 तथा संगत आईएनडी-एस के उपबंधों (समय-समय पर यथासंशोधित) के अधीन होगा। किसी भी अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही के मामले में, जिसमें संबंधित पक्षों के बीच लेनदेन में मूल्य निर्धारण का समायोजन शामिल हो, स्कीम या पात्र अवसीमा निवेश के तहत लाभ की गणना पर बल दिया जाएगा।

12.3 प्रक्रिया में शामिल संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए और अधिप्राप्ति के मामले में सत्यनिष्ठा समझौते को जोड़ने के संबंध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अनुदेशों से प्रेरणा लेते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि आवेदक अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित सत्यनिष्ठा अनुपालन का वचनबंध प्रस्तुत करेंगे, जिसे आवेदन-पत्र के साथ जारी किया जाएगा। वचनबंध सभी अनुमोदित आवेदकों द्वारा प्रदान किया जाएगा। जो आवेदक वचनबंध प्रस्तुत नहीं करेंगे, उनके आवेदन को प्रसंस्कृत और विचारार्थ नहीं लिया जाएगा।

12.4 इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत दिशानिर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।

12.5 स्कीम अधिसूचना और इसके दिशानिर्देशों की समीक्षा और संशोधन का कार्य भारी उद्योग मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जा सकता है।

[फा. सं. 1(2)/2024- एडआई (28128)]

डॉ. हनीफ़ कुरैशी, अपर सचिव

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 2024

S.O. 1363(E).—SCHEME TO PROMOTE MANUFACTURING OF ELECTRIC PASSENGER CARS IN INDIA

1. Background and Introduction

India is currently the world's 3rd largest automobile market and one of the fastest growing automotive markets in the world. The current market size of the automotive sector is Rs.12.5 lakh crore (USD151 billion) and the sector is expected to cross Rs.24.9 lakh crore (USD 300 billion) by 2030. The automotive sector contributes over 7.1% to India's GDP.

Being the 3rd largest automotive market in the world, India has the opportunity to lead the global transition from conventional ICE powertrain to a more efficient and decarbonized Electric Vehicle (EV) technology. Electric Vehicles are expected to become a major category within the automobile sector.

The Government of India has taken several initiatives to promote the growth of the EV industry. These include the FAME India schemes and the two production linked incentive (PLI) schemes which are discussed subsequently.

NITI Aayog¹ has projected that by the year 2030 the penetration of various categories of EVs is likely to be as follows:

- 35-40% for 2 wheelers
- 9-11% for private 4 wheelers
- 20-25% for shared 4 wheelers
- 13-16% for buses

¹ NITI Aayog report "Promoting Clean Energy Usage Through Accelerated Localization of E-Mobility Value Chain" dated May 2022

1.1 Growth Drivers

- 1.1.1 **PLI Scheme for Automobile and Automotive Components (PLI-Auto):** PLI-Auto scheme was launched by the Ministry of Heavy Industries (MHI) on September 23, 2021 with an outlay of Rs.25,938 crore (USD 3.1 billion) as financial incentives to promote domestic manufacturing and draw investments into the value chain of the automotive manufacturing industry.
- 1.1.2 **PLI Scheme for Advanced Chemistry Cell (PLI-ACC):** . This scheme with a budgetary outlay of Rs.18,100 crore (USD 2.5 billion) was launched by MHI to incentivise manufacturers of advanced chemistry cells. This scheme aims to build local manufacturing capacity of 50 GWh out of which 30 GWh has already been subscribed.
- 1.1.3. **FAME:** MHI rolled out a scheme for Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid &) Electric Vehicles (FAME) in 2015. The Phase II of the FAME scheme (FAME II) was launched in 2019 with a budgetary layout of Rs.11,500 crore. The scheme provides upfront subsidy to purchasers of EVs so as to reduce their cost of acquisition.
- 1.1.4 **State Policies:** Currently more than 22 states and UTs in India have dedicated EV policies. These policies aim to promote the adoption of EVs in India by providing incentives through a bouquet of fiscal and non-fiscal measures such as subsidies, concessions/ waivers in taxes, and infrastructure development.

1.2. Scheme Rationale:

This scheme shall help to attract investments from global EV manufacturers and promote India as a manufacturing destination for e-vehicles. The scheme will also help put India on the global map for manufacturing of EVs, generate employment and achieve the goal of “Make in India”.

1.3. Key Scheme Highlights:

- 1.3.1. The approved applicants will setup manufacturing facilities in India with a minimum investment of Rs.4,150 crore (USD 500 million), for manufacturing of e-4W.
- 1.3.2. The manufacturing facility(ies) shall be made operational within a period of 3 years from the date of issuance of approval letter by MHI and achieve minimum DVA of 25% within the same period.
- 1.3.3. The approved applicant will be required to achieve minimum DVA of 50% within a period of 5 years from the date of issuance of approval letter by MHI.
- 1.3.4. The applicant will be allowed to import CBUs of e-4W manufactured by them at a reduced customs duty of 15% subject to the conditions as per this Scheme.
- 1.3.5. Under this scheme, EV passenger cars (e-4W) can initially be imported with a minimum CIF value of USD 35,000, at a duty rate of 15% for a period of 5 years from the date of issuance of approval letter by MHI. The maximum number of e-4W allowed to be imported at the aforesaid reduced duty rate shall be capped at 8,000 nos. per year. The carryover of unutilized annual import limits would be permitted.
- 1.3.6. The maximum number of EVs to be imported under this Scheme shall be such that the total duty foregone will be limited to the lower of the following:
- iii. The maximum duty foregone per applicant (limited to Rs.6,484 crore), or
 - iv. committed investment of the applicant (in Rs. crore).

The maximum number of e-4W permitted to be imported under this Scheme is illustrated through the following examples:

Example1

- a) Committed investment is USD 500 Mn,
- b) CIF (Cost, Insurance & Freight) price of every EV is USD 35,000
- c) Current import duty = 70%, proposed import duty = 15%,
Therefore, duty foregone = (70%-15%) x USD 35,000
= USD 19,250 (₹ 15,97,750), then;
- d) Maximum number of vehicles allowed for import during the Scheme
= ₹4,150 crore (USD 500 million) ÷ ₹ 15,97,750 (USD 19,250)
= 25,974 Nos.

Example 2

- a) Committed investment is USD 781 Mn (Rs.6,484 crore),
- b) CIF of every EV is USD 35,000,
- c) Current import duty = 70%, proposed import duty = 15%,
Therefore, duty foregone = (70%-15%) x USD 35,000
= USD 19,250 (₹ 15,97,750), then;
- d) Maximum number of vehicles allowed for import during the Scheme
= ₹6,484 crore (USD 781 million) ÷ ₹ 15,97,750 (USD 19,250)
= 40,582 Nos.

Example 3

- a) Committed investment is USD 500 Mn (Rs.4,150 crore),
- b) CIF of every EV is USD 50,000,
- c) Current import duty = 100%, proposed import duty = 15%,
Therefore, duty foregone = (100%-15%) x USD 50,000
= USD 42,500 (₹ 35,27,500), then;
- d) Maximum number of vehicles allowed for import during the Scheme
= ₹4,150 crore (USD 500 million) ÷ ₹ 35,27,500 (USD 42,500)
= 11,764 Nos.

In case the vehicles are imported at varying CIF prices, then the number of vehicles shall be limited by the quantum of the total duty foregone, which is limited to the amount as above.

- 1.3.7. The lower customs duty of 15% would be applicable for a total period of 5 years (from the date of issuance of approval letter by MHI) subject to setting up of manufacturing facility(ies) in India within a 3-year period (involving a minimum investment of Rs.4,150 crore (~USD 500 million)).
- 1.3.8 The applicant will be required to achieve a domestic value addition (DVA) of minimum 25% by the end of 3rd year and minimum 50% by the end of 5th year (from the date of issuance of approval letter by MHI) for the e-4W manufactured in its facility(ies).
- 1.3.9. The applicant's commitment to setup manufacturing facility(ies) and achievement of DVA shall be backed by a bank guarantee from a scheduled commercial bank in India equivalent to the total duty to be forgone, or Rs 4150 crore, whichever is higher, during the scheme period.
- 1.3.10. The Bank guarantee will be invoked in case of non-achievement of any of the following:
 - i. investment of minimum Rs. 4,150 crore by the applicant within a period of 3 years;
 - ii. EV passenger cars manufactured by the applicant at its manufacturing facility(ies) will be required to achieve a DVA of minimum 25% within a period of 3 years;
 - iii. Investment made by the applicant within a period of 5 years should be at least equivalent to duty foregone, or USD 500 million, whichever is more.
 - iv. EV passenger cars manufactured by the applicant at its manufacturing facility(ies) will be required to achieve a DVA of minimum 50% within a period of 5 years.
- 1.3.11 The Bank guarantee will be returned only when 50% DVA is attained and the investment of at least Rs 4,150 crore has been made, or to the extent of duty foregone in 5 years, whichever is higher.

2. Definitions

- 2.1. **Applicant:** An applicant for the purpose of the Scheme should be a company or its Group Company(ies) incorporated under The Companies Act in India, engaged in automotive and/or manufacturing and meeting the eligibility criteria specified under the scheme and making an application for seeking approval under the Scheme.
- 2.2. **Application:** Application submitted by an applicant as per the prescribed Application Form containing requisite information, along with supporting documents and application fee. The format of Application Form shall be issued separately in due course.

- 2.3. Application Approval Date:** The date on which approval letter under the Scheme is issued by MHI.
- 2.4. Application Window:** Applications will be invited within 120 days (or more) of notification of this scheme. The window for receiving applications through the Notice Inviting Applications will be for a period of 120 days (or more). Further, MHI shall have the right to open the application window, as and when required, within the first 2 years of the Scheme.
- 2.5. Approved Applicant/Company:** The eligible company or its Group company(ies) which have been issued an approval letter under the scheme.
- 2.6. Automotive OEM:** The original equipment manufacturer of electric passenger vehicles.
- 2.7. Completely Built-in Unit (CBU):** This is a vehicle that is in a completely assembled form.
- 2.8. Completely Knocked Down (CKD):** A vehicle as a Completely Knocked Down (CKD) kit containing all the necessary parts for assembling a complete vehicle with chassis, engine, gearbox, transmission mechanism, not in a pre-assembled condition.
- 2.9. Eligible Product:** means the electric passenger vehicle (e-4W) which is proposed to be manufactured by the applicant and whose DVA has been verified by testing agency(ies) of MHI.
- 2.10. Financial Year:** Financial Year begins on the 1st April of a year and ends on 31st March of the following year.
- 2.11. Fixed Assets:** Fixed asset is an asset held with the intention of being used for the purpose of producing or providing goods or services and is not held for sale in the normal course of business e.g., Property, plant and equipment etc.
- 2.12. Force Majeure:** Extraordinary events or circumstances beyond human control, such as event described as an act of God (like a natural calamity) or events such as a war, strike, public health emergency, riots (but not including negligence or wrong-doing, predictable/ seasonal rain or any other events specifically excluded).
- 2.13. Global Group Revenue:** Total revenue of the group companies from global operations (from automotive manufacturing in a given year).
- 2.14. Group Companies:** Group Company(ies) shall mean two or more enterprises which, directly or indirectly, are in a position to:
Exercise twenty-six percent or more of voting rights in the other enterprise;
- Or
- Appoint more than fifty percent of members of Board of Directors in the other enterprise (As defined in the FDI Policy Circular of 2020).
- 2.15. Global Net Worth:** It refers to the Gross Net Worth of a company or its Group company(ies) from all operations i.e. domestic as well as foreign, of all assets (Domestic plus Foreign) less all liabilities (Domestic plus Foreign).
- 2.16. Investment-** “Investment” shall mean:
Expenditure incurred on new Plant, Machinery, Charging Infrastructure, Equipment and associated utilities across India. This shall include expenditure on plant, machinery, equipment and associated utilities as well as tools, dies, moulds, jigs, fixtures (including parts, accessories, components and spares thereof) of the same, used in the design, manufacturing, assembly, testing, packaging or processing of any of the eligible products under the scheme. It shall also include expenditure on setting up of Charging Infrastructure, equipment and associated utilities across India. Further, it shall also include expenditure on packaging, freight/transport, insurance, and erection and commissioning of the plant, machinery, equipment, and associated utilities. Associated utilities would include captive power and effluent treatment plants, essential equipment required in operations area such as clean rooms, air curtains, temperature and air quality control systems, compressed air, water and power supply, and control systems. Associated utilities would also include IT and ITES infrastructure related to manufacturing including servers, software, and ERP solutions. All non-creditable taxes and duties would also be included in such expenditure. Expenditure made on second hand/ refurbished plant, machinery etc., will not qualify as investment under this Scheme. Further, leasehold assets will also not qualify as investment under this Scheme.
- 2.16.1. Expenditure incurred on Land and Building:** The expenditure incurred on land will not be considered for meeting the threshold criteria of cumulative minimum domestic Investment. However, buildings of the main plant and utilities will be considered as part of the investment provided it does not exceed 10% of minimum cumulative domestic investment. Leasehold buildings will not be eligible to be considered as eligible investment under the scheme.

2.17. Manufacturing: In accordance with Central Goods and Services Tax (CGST) Act, 2017, manufacturing shall mean processing of raw material or inputs in any manner that results in emergence of a new product having a distinct name, character and use and the term “manufacturer” shall be construed accordingly.

Further, within the framework of this Scheme, it is specified that manufacturing pertains specifically to the production of electric passenger vehicles within the manufacturing facility(ies) to be established by the applicant and adhering to the specified DVA requirements.

2.18. Project Management Agency (PMA): Refers to the financial institution(s) or any other authority(ies) appointed by GoI to act on its behalf for receipt and appraisal of applications, verification of eligibility, examination of adequacy of bank guarantee, keeping track of the vehicles imported and duty foregone through any method / document deemed appropriate and for managing the above-mentioned in accordance with these guidelines.

2.19. Semi-Knocked down Unit (SKD): Semi-Knocked Down (SKD) is a vehicle as a knocked down kit containing all the necessary parts, sub-assemblies for assembling a complete vehicle with engine, gearbox, transmission in pre-assembled condition but not mounted on a chassis or a body assembly.

2.20. Domestic Value Addition (DVA): shall be as defined in PLI-Auto scheme of MHI.

2.21. Performance Criteria: All electric passenger vehicles shall meet the performance criteria of PLI Auto scheme.

3. Tenure of the Scheme: Will be 5 years or as notified by Government of India.

4. Eligibility

4.1. Eligibility: The applicant company or its Group company(ies) will need to meet the following common criteria to qualify and receive benefits under the Scheme:

Eligibility Criteria	Auto OEM
Global group* Revenue (from automotive manufacturing), based on the latest audited annual financial statements at the time of application	Minimum ₹ 10,000 crore.
Investment, based on the latest audited annual financial statements at the time of application	Global Investment of Company or its Group* Company(ies) in fixed assets (gross block) of ₹ 3,000 crore.
Minimum Investment Commitment in India during a 3 year window	₹ 4,150 crore (USD 500 Mn)
Maximum Investment Commitment in India during a 3 year window	No Limit
Domestic value addition criteria during manufacturing	25% to be achieved within 3 years and 50% to be achieved within 5 years from date of issuance of approval letter by MHI/ PMA

*Group Company(ies) shall mean two or more enterprises which, directly or indirectly, are in a position to:

Exercise twenty-six percent or more of voting rights in the other enterprise;

Note:

- New investments should be made by the approved applicant only.
- Cumulative new domestic investment made, starting from Application Approval Date shall be considered under this condition.

4.2. Eligibility under the Scheme:

Facilities under this Scheme shall be available only after the following conditions are met:

4.2.1. Issuance of Approval Letter to the applicant by MHI

4.2.2. Submission of prescribed BG of Rs 4,150 crore.

4.2.3. If the duty foregone is more than Rs 4,150 crore, then additional BG to the extent of the additional duty benefit sought will be required to be submitted.

5. Application

- 5.1.** Applications will be invited within 120 days (or more) of notification of this scheme. The window for receiving applications through the Notice Inviting Applications will be for a period of 120 days (or more). Further, MHI shall have the right to open the application window, as and when required, within the first 2 years of the Scheme.

The applicant companies are required to submit an application along with financial & supporting documents, which will include, but not be limited to the following:

- Audited annual financial statements of the legal entity applying for the scheme as well as that of the global group company(ies).
- For establishing domestic investment under the Scheme, the applicant will furnish a statutory auditor's certificate.
- The documents should be audited and validated by the statutory auditor of the applicant.

- 5.2.** The Application Form: The format of the Application Form along with details of all necessary supporting documents, to be submitted at the time of application, will be issued separately.
- 5.3.** A non-refundable application fee would be payable for each application.

6. Online Portal

- 6.1.** All applications will be submitted through an online portal maintained by the PMA. In case the portal is not available, applications may be submitted in physical form to the PMA.
- 6.2.** URL of the online portal will be made available on the website of MHI.

7. Project Management Agency (PMA)

- 7.1.** The Scheme will be implemented through a Project Management Agency (PMA) which will be responsible for providing secretarial, managerial and implementation support and carrying out other responsibilities as assigned by Government of India from time to time.
- 7.2.** The PMA shall be responsible, inter alia, for:
- 7.2.1. Receipt of applications, examination and processing of applications and issuing acknowledgements.
 - 7.2.2. Submission of quarterly statements to MHI about the status of applications received and processed under the Scheme.
 - 7.2.3. Making appropriate recommendations through proper channel for approval of applications under the Scheme.
 - 7.2.4. Maintenance of bank guarantee furnished by applicants and making recommendation for invocation when required.
 - 7.2.5. Verification of thresholds for determining eligibility under the Scheme.
 - 7.2.6. Verification of Import data.
 - 7.2.7. Compilation of data regarding progress and performance of the Scheme through Quarterly Review Reports and other information /documents, as required and approved by the appropriate authority.
 - 7.2.8. Providing secretarial and other support to government for carrying out its responsibilities.
 - 7.2.9. Keep a check on any diversion arising out of any change in accounting policy or duplication of benefits on account of same activity under different schemes.
 - 7.2.10. The PMA may request for additional information, details and documents from the applicant as deemed necessary.

8. Approval under the Scheme

- 8.1.** The PMA will process the applications and make appropriate recommendations for approvals under the Scheme.
- 8.2.** Government of India will consider applications, as recommended by PMA through appropriate channel, for approval under the Scheme.
- 8.3.** All the applications will be finalized within 120 days from the date of submission of applications or receipt of clarification sought, if any.
- 8.4.** After receiving approval, the PMA will arrange to issue a letter to the selected applicant within 5 working days, communicating approval under the Scheme.

- 8.5.** If a selected applicant is found to be ineligible at any stage, or if it has not complied with notifications, orders, guidelines etc. of the Scheme, the envisaged benefit provided to such selected applicant shall be recovered with interest.
- 9. Scheme Sanctioning Committee (SSC):** An inter-ministerial scheme sanctioning committee chaired by Secretary (Heavy Industries) will be constituted for sanctioning, overall monitoring and implementation of the Scheme as well as to remove any obstacles/ difficulties that may arise in the implementation stage. Composition of the Committee will be issued separately.
- 10. Approval of Applications to avail lower customs duty:**
- 10.1.** To avail lower customs duty under the Scheme, the approved applicants will be required to submit import applications on an annual basis.
- 10.2.** The PMA will verify the import application as submitted by an approved applicant.
- 10.3.** The PMA will have the right to verify any document(s) in relation to the claim for lower customs duty, including, but not limited to, statutory auditor certificates and returns furnished to various Ministries / Departments / Agencies. The PMA shall also have the right to examine the end realization and settlement / payments corresponding to investment, DVA etc. by way of auditor's certificate, bank statements etc. to the extent deemed necessary.
- 10.4.** The applicant will give quarterly progress report to the PMA on the progress being made in setting up manufacturing facilities in India during the scheme duration.
- 10.5.** In case of any doubt with respect to determining eligibility or any other matter in discharge of its duties and responsibilities, the PMA may refer such matter to MHI for clarification.
- 10.6.** If the PMA or MHI is satisfied that eligibility under the Scheme and / or benefits availed under the Scheme have been obtained by misrepresentation of facts or falsification of information, MHI will ask the approved applicant to refund the duty foregone, along with interest calculated at 3 years' SBI Marginal cost of funds-based lending rate (MCLR) prevailing on the dates of availing benefits, compounded annually, after giving an opportunity to the applicant of being heard. This is without prejudice to any other action that may be taken under law.
- 11. Review**
- Periodic reviews will be undertaken by the Scheme Sanctioning Committee with respect to progress and performance of the Scheme.
- 12. Residual**
- 12.1.** The companies whose credentials have been considered for selection of applicant under this Scheme shall not be allowed to dilute their shareholding (direct or indirect) in the applicant during the tenure of the Scheme.
- 12.2.** All transactions by the selected applicant with Related Parties will be subject to provisions of relevant statutes and Accounting Standards — 18 and corresponding Ind-AS, as amended from time to time. In case of any proceedings under any Act leading to adjustment of pricing in the transactions between related parties, effect shall be given in calculation of benefits under the Scheme or eligible threshold investment.
- 12.3.** Keeping in view the sensitivities involved in the process and taking cue from the instructions of the Central Vigilance Commission regarding addition of an Integrity Pact in the matter of procurement, it has been decided that Applicants shall furnish undertaking w.r.t. Integrity Compliance duly signed by its authorised signatory, as will be issued along with the Application Form. The undertaking shall be provided by all approved applicants. The applications of those applicants who do not submit the undertaking shall not be processed and considered.
- 12.4.** Detailed guidelines for implementation of this scheme will be issued separately.
- 12.5.** The Scheme notification and its guidelines can be reviewed and revised by the competent authority in MHI.

[F. No. 1(2)/2024- AEI (28128)]
DR. HANIF QURESHI, Addl. Secy.